फर्द अहकाम

न्यायालय — उपजिला अधिकारी जलालाबाद

कान्ता — बनाम — आशू वर्मा

मुकदमा संख्या / वर्ष : 22 / 2013

क्रम सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 20/2/24 को पेश हो	
	20/2/24	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता गण हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/5/24 पेश हो	
	19/5/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी लोकसभा आम चुनाव–2024 में व्यस्त होने से पत्रावली में जनरल तारीख पेशी की जाकर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/5/24 को पेश हो	
	31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 18/6/24 को पेश हो। प्रकरण: तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। पत्रावली तदनुसार दिनांक 18/6/24 को पेश हो।	
	18/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षों उप०। वकील पक्षों की प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 28A पर	

फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

काना — बनाम — नाथू वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष : 22/2013

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पक्ष तलब बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः गवाहों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाकर हेतु विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
22 / 2013	26 / 07 / 2013	18 / 06 / 2024

– उनवान –

ाना पुत्र लालु उम्र 75 वर्ष जाति चमार निवासी मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर। (मृतक दौराने करण)

/1. जगदीश नारायण पुत्र स्व0 काना

/2. हरिनारायण पुत्र स्व0 काना

प्रार्थीगण

बनाम

थू पुत्र भौरिया
न्दा पुत्र भौरिया
सराज पुत्र स्व0 कल्याण
द्री पुत्र स्व0 कल्याण
रधारी पुत्र स्व0 कल्याण
रेश पुत्र स्व0 कल्याण
ाति चमार निवासी मानोता, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
ज0 सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर।

अप्रार्थीगण

पस्थित अभिभाषक

। महेश शर्मा – वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री महेश शर्मा के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा अनुसार स्थित है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 92 की भूमि पर प्रार्थी कृषि कार्य करते हुए उपयोग उपभोग करते आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 92 के उत्तर दिशा में सीवजोड अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा अनुसार स्थित है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 92 में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन के आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 93 के अन्तर्गत पश्चिमी दिशा की ओर से होकर 16 फिट चौडाई में अर्से दराज पूर्व से बजमाने बुजुर्गान रास्ता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी उक्त भूमि खसरा नम्बर 93 की भूमि के अन्तर्गत पश्चिमी सींवडोल पर उक्त वर्णितानुसार अर्से दराज कई वर्षो पूर्व से बजमाने बुजुर्गान प्रार्थी के आवागमन हेतु रास्ता चला आ रहा है जो कि 16 फिट चौडा स्थित है। जिसको संलग्न नजरी नक्शें में पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 92 की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 93 में से होकर जाने वाले उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है तथा प्रार्थी कृषि उपयोगार्थ इसी रास्ते से ट्रेक्टर व अन्य वाहन ले जाता है तथा अपने कृषि कार्य व पशुपालन हेतु व आवासीय आवागमन करते आ रहा है। अतः संलग्न नजरी नक्शें में प्रदर्शित अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 92 मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 93 के अन्तर्गत पश्चिमी दिशा की

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जयपुर

ओर 16 फिट चौडाई अनुसार रास्ता कायम करते हुए में प्रार्थी के आवागमन हेतु आम रास्ते का राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शें में इन्द्राज करने तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते पर आवागमन के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का अवरोध, बाधा उत्पन्न नही करे, रास्ते को स्वतंत्र एवं विवाद रहित रखने हेतु आदेश दिया जावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 6 अनु0। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः दिनांक 21.09.2023 को अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 7 (पैरोकार सरकार) अपने पत्रांक/एल0आर0/251ए/24/2024/1280 दिनांक 22.04.2024 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद में अंकित भूमि ग्राम मानोता के खसरा नम्बर 92 रकबा 1.7197है0 जगदीश नारायण, हरिनारायण पुत्र काना की खातेदारी भूमि है। वादी के लिए खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। वादी खसरा नम्बर 93 में से आता जाता है जो नक्शें में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है जो कि लगभग 26X4 का रास्ता अर्थात 0.0160है0 है जो नायला नक्चीघाटी सडक से लगवा है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट, पैरोकार सरकार का जवाब/रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मानोता, पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0 नं0 92 में कृषि कार्य हेतु आने–जाने के लिए प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार रास्ता खसरा नम्बर 93 में से 16X4=64 वर्गमीटर अर्थात 0.0160है0 भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे तथा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 93 में से रास्ते के काम आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि खसरा नमवर 92 में से रकबा 0.0160है0 खसरा नम्बर 93 के लगवा भूमि अप्रार्थीगणों के नाम खातेदारी दर्ज करें। नक्शा दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 18.06.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ